भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ

(भारतीय सहकारी आन्दोलन की एक शीर्षस्थ संस्था)

3, सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली–110 016

दूरभाष : **41811153** **E-mail :** boardncui@gmail.com

संदर्भ सं. : एन.सी.यू.आई. / सी.डी.एन. / 11(ए.जी.एम.) / 2024–2025 *दिनाँक* : 06.09.2024

प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी
भा.रा.सह. संघ की सभी सदस्य संस्था

विषय : भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की सामान्य निकाय के प्रतिनिधियों का नामांकन ।

प्रिय महोदय / महोदया,

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की उप विधि संख्या 12(ii) के अनुसार वर्ष 2023–2024 के लिये सामान्य निकाय की बैठक दिनाँक 25 सितम्बर, 2024 को पूर्वाह्न 11.30 बजे भा0रा0स0संघ के सभागार में होनी तय हुई है ।

इसलिये भा.रा.सह.संघ की प्रत्येक सदस्य संस्था को भा.रा.सह. संघ की सामान्य निकाय के लिये अपने **एक** प्रतिनिधि का नामांकन करना है । सदस्य संस्थाओं द्वारा प्रतिनिधियों का नामाकंन बहु–राज्य सहकारी समितियां अधिनियम 2002 की धारा 38(3) और भा.रा.सह. संघ के उपनियम संख्या 11(ए) के अन्तर्गत किया जाना है जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है :

बहु–राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 की धारा 38(3)

''जहां एक बहु–राज्य सहकारी समिति के सामान्य निकाय या बोर्ड की बैठक के किसी सहकारी समिति अथवा अन्य बहु–राज्य सहकारी समिति द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाना है वहां सहकारी समिति अथवा अन्य बहु–राज्य सहकारी समिति द्वारा ऐसे बैठकों में प्रतिनिधित्व सहकारी समिति या अन्य बहु–राज्य सहकारी समिति के अध्यक्ष / अध्यक्षा अथवा मुख्य कार्यकारी या बोर्ड के सदस्य द्वारा, जैसा भी मामला हो, किया जायेगा बशर्ते कि सदस्य को बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया हो और जहां कहीं सहकारी समिति या बहु–राज्य सहकारी समिति में किसी भी कारण से कोई बोर्ड नहीं है ऐसी सहकारी समिति या अन्य बहु–राज्य सहकारी समिति के प्रशासक, किसी भी नाम से जाना जाता हो, द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा ।

जहां एक बहु–राज्य सहकारी समिति के उप–नियमों में किसी अन्य संस्था के सामान्य निकाय या ऐसी बहु–राज्य सहकारी समिति के बोर्ड की बैठक में भाग लेने का प्रावधान किया गया है वहां ऐसी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व उसके द्वारा नामिति व्यक्ति द्वारा किया जायेगा ।''

उप नियम संख्या 11(ए) : सामान्य निकाय में प्रतिनिधत्व

(क) समिति का प्रत्येक सदस्य संघ के सामान्य निकाय हेतु **एक** प्रतिनिधि भेजेगा ।

1. इसलिये हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के सामान्य निकाय की बैठक के लिये ***अनुबंध–अ*** पर संलग्न निर्धारित प्रोफामों में अपने एक प्रतिनिधि का नाम और पता भेजने की कृपा करें।
2. सदस्य समिति की सक्षम निकाय द्वारा पारित प्रस्ताव की एक प्रति, जिसे समिति की मोहर के साथ समिति के अध्यक्ष / सचिव / मुख्य कार्यकारी या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया है, भी नामाकंन के साथ भेजी जानी चाहिये ।
3. यदि आपके प्रतिनिधि का नामाकंन, या नामांकन में कोई बदलाव हो तो उसे जल्द से जल्द संघ में दिनाँक 12.09.2024 तक भेज दें जिसके लिए आपका आभार रहेगा ।

धन्यवाद,

भवदीय,

(डा0 सुधीर महाजन)
आई.ए.एस.(सेवानिवृत्त)
मुख्य कार्यकारी

संलग्न : यथोपरि ।

अनुबंध-अ

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की वार्षिक आम सभा में प्रतिनिधि के नामांकन के लिए प्रोफार्मा

1.	सदस्य संस्था का नाम	
2.	सदस्य संस्था का पता	
3.	प्रतिनिधि का विवरण i) नाम और पदनाम (अध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ प्रशासक) ii) पत्राचार के लिए प्रतिनिधि का पता टेलीफोन और फैक्स नंबर के साथ iii) प्रतिनिधि के हस्ताक्षर का नमूना विधिवत रूप से सत्यापित किया गया	सत्यापित हस्ताक्षर (सत्यापित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम)
4.	नामित करने वाले प्रस्ताव संख्या एव दिनाक	*संकल्प संख्या : तारीख :

(अध्यक्ष / सचिव / प्रबंध निदेशक /
मुख्य कार्यकारी अधिकारी / प्रशासक के हस्ताक्षर)

संस्था की मुहर

तारीख:

(* कृपया प्रस्ताव की एक प्रति संलग्न करें)